



UPM0280010552022

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- सर्वेश कुमार मिश्र (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा- 2073)
वाद संख्या- 709/2022

राज्य

प्रति

अरुण।

अ०सं-01/2022

धारा- 3 आर.पी (यूपी) एक्ट।

थाना- आर०पी०एफ०पोस्ट रामपुर।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त अरुण न्यायालय के समक्ष उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में रह चुका है। वह प्रस्तुत प्रकरण को आगे चलाने में असमर्थ है। प्रार्थी को कम से कम जुर्माने से दंडित कर उसका मुकदमा समाप्त करने कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त का जुर्म इकबाल बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कम से कम जुर्माने से दंडित कर उपरोक्त वाद को समाप्त किए जाने की याचना की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अरुण को अपराध संख्या- 01/2022 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दंड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक 29.04.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073

दिनांक 29.04.2026

पत्रावली लंच पश्चात दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वह प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में रह चुका है। इन अभिकथनों के साथ अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3 आर.पी (यूपी) एक्ट का अपराध साबित होता है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपने जुर्म का इकबाल किया गया है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत मामले को आगे चलाने में असमर्थ है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले के सह अभियुक्त के साथ चोरी की गयी रेल संपत्ति 96 अदद पैंड्रोल क्लिप है तथा 01 जोड़ा जोगल प्लेटे है जिनकी अनुमानित कीमत मात्र 8580/-रुपए दर्शायी गयी है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में लगभग 09 दिन जेल में रह चुका है। अतः प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति, उसकी सामाजिक व आर्थिक को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 3 आर.पी (यूपी) एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए निम्नलिखित दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त **अरुण** को मुकदमा अपराध संख्या- 01/2022 अंतर्गत धारा- 3 आर.पी. (यूपी) **एक्ट** थाना आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास तथा 1000/-रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 10 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

पत्रावली को नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जावे। माल मुकदमा बाद मियाद नियमानुसार निस्तारण हेतु संबंधित विभाग को अंतरित किया जावे।

दिनांक 29.04.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 29.04.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073

आशुलिपिक-हरगोविन्द सिंह।

हस्ताक्षर-



UPM0280010552022

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- सर्वेश कुमार मिश्र (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा- 2073)
वाद संख्या- 709/2022

राज्य

प्रति

श्रीराम।

अ०सं -01/2022

धारा- 3 आर.पी (यूपी) एक्ट।

थाना- आर०पी०एफ०पोस्ट रामपुर।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त **श्रीराम** न्यायालय के समक्ष उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में रह चुका है। वह प्रस्तुत प्रकरण को आगे चलाने में असमर्थ है। प्रार्थी को कम से कम जुर्माने से दंडित कर उसका मुकदमा समाप्त करने कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त का जुर्म इकबाल बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कम से कम जुर्माने से दंडित कर उपरोक्त वाद को समाप्त किए जाने की याचना की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **श्रीराम** को अपराध संख्या- 01/2022 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दंड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक 29.04.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073

दिनांक 29.04.2026

पत्रावली लंच पश्चात दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वह प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में रह चुका है। इन अभिकथनों के साथ अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3 आर.पी (यूपी) एक्ट का अपराध साबित होता है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपने जुर्म का इकबाल किया गया है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत मामले को आगे चलाने में असमर्थ है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले के सह अभियुक्त के साथ चोरी की गयी रेल संपत्ति 96 अदद पैंड्रोल क्लिप है तथा 01 जोड़ा जोगल प्लेटे है जिनकी अनुमानित कीमत मात्र 8580/-रुपए दर्शायी गयी है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में लगभग 09 दिन जेल में रह चुका है। अतः प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति, उसकी सामाजिक व आर्थिक को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 3 आर.पी (यूपी) एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए निम्नलिखित दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त श्रीराम को मुकदमा अपराध संख्या- 01/2022 अंतर्गत धारा- 3 आर.पी. (यूपी) एक्ट थाना आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास तथा 1000/-रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 10 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

पत्रावली को नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जावे। माल मुकदमा बाद मियाद नियमानुसार निस्तारण हेतु संबंधित विभाग को अंतरित किया जावे।

दिनांक 29.04.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 29.04.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073

आशुलिपिक-हरगोविन्द सिंह।

हस्ताक्षर-